FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम टोंक

रामधन बनाम श्योनाथ

प्रा.पत्र T.T. नं. 157 सन् 2019

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थीगण/वादीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र/वादपत्र पेश किया। वकील प्रार्थी/वादी को सुना तथा प्रार्थना–पत्र/वादपत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिपक्षीगण/प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस/सम्मन जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 17/1/20 को पेश हो।	
उपखण्ड अधिकारी, टोंक	
1/20 [illegible] 27/1/20 को पेश हो	
उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	
27/1/20 [illegible] 30/1/20 को पेश हो	
उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	
30/1/20 [illegible]	[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	मुताबिक फैसला किंतु वारिसान तौर पर उनका भी हक व हिस्सा है। वकील वादी ने अवगत कराया कि प्रतिवादी-1 के नाम होने से वह विक्रय पर आमादा है। ~~[illegible]~~ ऐसी स्थिति में विवाद को बचाने के लिये प्रार्थीगण का अधिकार सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण के हक व हिस्से तक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस वाद के निर्णय तक पारित किया जाता है कि वह प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत दखलंदाजी नहीं करें ना करावें। ह. इस वाद के निर्णय तक पाबन्द रहें। प्रार्थना पत्र शामिल शुमार होकर नत्थी की जावे। (रतनलाल योगी) RAS उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)